



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आश्विन 1945 (श10)

(सं० पटना 846) पटना, मंगलवार, 17 अक्टूबर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर 2023

एस० ओ०-343 दिनांक 17 अक्टूबर 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक को अधिसूचित करते हैं जिससे ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है जो धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसरण में वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 264 दिनांक 05 अक्टूबर, 2023, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 809, दिनांक 05 अक्टूबर, 2023, द्वारा प्रकाशित किया गया था, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थात:-

- इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति को केवल तभी अनुज्ञात करेगा, यदि उक्त व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर नामांकन संख्या का आबंटन किया गया है;
- इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की किसी अंतर-राज्यिक पूर्ति को अनुज्ञात नहीं करेगा ;
- इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के संबंध में धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण नहीं करेगा; और

(iv) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप **जीएसटीआर-8** में विवरण के रूप में प्रस्तुत करेगा।

2. जहां इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक प्लेटफार्म के माध्यम से मालों की एकल पूर्ति में बहु इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक अंतर्वर्तित है, " इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक " से ऐसा इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक अभिप्रेत होगा जो अंतिम रूप से उक्त व्यक्ति को उसके माध्यम से उक्त व्यक्ति द्वारा की गई उक्त पूर्ति के लिए संदाय जारी करेगा।

3. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-17)3716)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

#### 16 अक्टूबर 2023

एस०ओ० 343 दिनांक 17 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-17)3716)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य करआयुक्त-सह-सचिव।

#### **The 16<sup>th</sup> October 2023**

S.O. 343 Date 17 October 2023—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 as the class of persons who shall follow the following special procedure in respect of supply of goods made through it by the persons exempted from obtaining registration (hereinafter referred to as the said person) in accordance with notification issued under sub-section (2) of section 23 vide Commercial Taxes Department notification No. S.O. 264, dated the 05<sup>th</sup> October, 2023, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 809, dated the 05<sup>th</sup> October 2023, namely:-

- (i) the electronic commerce operator shall allow the supply of goods through it by the said person only if enrolment number has been allotted on the common portal to the said person;
- (ii) the electronic commerce operator shall not allow any inter-State supply of goods through it by the said person;
- (iii) the electronic commerce operator shall not collect tax at source under sub-section (1) of section 52 in respect of supply of goods made through it by the said person;and
- (iv) the electronic commerce operator shall furnish the details of supplies of goods made through it by the said person in the statement in **FORM GSTR-8** electronically on the common portal.

2. Where multiple electronic commerce operators are involved in a single supply of goods through electronic commerce operator platform, “the electronic commerce operator” shall mean the electronic commerce operator who finally releases the payment to the said person for the said supply made by the said person through him.

3. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of October, 2023.

[(File No. Bikrikar/GST/vividh-21/2017 (Part-17)3716)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 846-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>